निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 6 पटना, बुधवार, 19 माघ 1938 (श0) / 8 फरवरी 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	3-3
पूरक	---
पूरक-क	4-6

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2017

सं0 ऊर्जा स्था0 विविध–20/2016–01—बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 (बिहार अधिनियम, 19, 2015) के अधीन श्री अनिरूद्ध कुमार, भा0 प्र0 से0, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना का प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोदा नन्द झा, उप–सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

2 फरवरी 2017

सं0 21/एस॰एस॰सी॰–03/2016, सा॰प्र॰ **1194—**बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम–04 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त नियमावली की अनुसूची–3 (इण्टर स्तरीय) में पूर्व से सम्मिलित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के ''अवर निरीक्षक उत्पाद'' पद को विलोपित करते हुए नियमावली की अनुसूची–2 (स्नातक स्तरीय) में ''अवर निरीक्षक उत्पाद'' पद को तत्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–3718 दिनांक 19.03.2014 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+25-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 88—मैं, सौरभ कुमार उर्फ सौरव कुमार पिता श्री राम निवास प्रसाद उम्र लगभग 27 वर्ष, ग्राम खोलपुर, डा0 पंडुरारामपुर, थाना संदेश, जिला भोजपुर, शपथ पत्र संख्या 6439 दिनांक 10.02.2016 द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं सौरभ कुमार उर्फ सौरव कुमार एक ही व्यक्ति हूँ। मेरा सही नाम सौरव कुमार (Saurav kumar) है और अब से सौरव कुमार के नाम से जाना जाउँगा।

सौरभ कुमार।

No. 88— I, SAURAV KUMAR, S/o Sri Ram Niwas Prasad of Vill- Kholpur, Po- Pandurah-Rampur, PS-Sandesh- Dist.-Bhojpur do hereby declare that ' SAURAV KUMAR' and ' SAURABH KUMAR' both are same Person, who I am. Now I shall be known as ' SAURAV KUMAR'(सौरव कुमार) for all future purpose By vide affidavit No-6439 Dated 10.02.2016.

SAURAV KUMAR.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

3 फरवरी 2017

सं0 ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-04/2015-299102-ग्रा0वि0—श्री मनोज कुमार अग्रवाल, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगडिया के विरूद्ध जानबूझकर निर्वाचन कार्य में व्यवधान पैदा करने की नीयत से कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक- 788 दिनांक 07.12.2015 द्वारा आरोप विहित प्रपत्र 'क' में प्राप्त हुआ।

उक्त प्रपत्र 'क' पर श्री अग्रवाल के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया का मंतव्य उनके पत्रांक- 666 दिनांक 05.10.2016 द्वारा प्राप्त किया गया।

श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्राप्त आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा श्री अग्रवाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। समीक्षोपरान्त जिला पदाधिकारी, खगड़िया के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अग्रवाल के उपर 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अत: उपरोक्त के आलोक में श्री अग्रवाल के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य मानते हुए उन्हें 'निन्दन' की सजा दी जाती है।

उक्त दण्ड की सूचना उनके चारित्री/सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाय।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र भगत, उप-सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I

———

DECLARATIONS

The 6th Fubuary 2017

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**10/2016**-471—WHEREAS, It is alleged that **Sri Rajeev Ranjan, Late Vijay Kumar Sinha, the then Laboratory Assistant-Cum-Cashier NH Division Dehri-on-Sone, Camp Gaya, Address : LIG Flat No. 13/465, Hanuman Nagar, Kankarbagh, Patna,** while holding the post of **The Laboratory Assistant-Cum-Cashier, NH Division Dehri-on-Sone, Camp Gaya** and serving in different capacities in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 83/2010 dated 09.12.2010.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **The Sri Rajeev Ranjan the then Laboratory Assistant-Cum-Cashier, NH Division Dehri-on-Sone, Camp Gaya,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.

sd/- Illegible, Principal Secretary.

———

The 6th Fubuary 2017

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**16/2016**-472—WHEREAS, It is alleged that **Sri Bishnu Narayan Singh, S/o Sagar Singh, Vill. + P.O. - Nawadaben, P.S. - Udwantnagar, Distt. - Bhojpur at Present Assistant Engineer Electric Supply Sub-Division, Gayghat, Patna** while holding the post of **The Assistant Engineer Electric Supply Sub-Division, Gayghat, Patna** and serving in different capacities in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 47/2010 dated 18.06.2010.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **The Assistant Engineer Electric Supply Sub-Division, Gayghat, Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.
sd/- Illegible, Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in